

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/1537/2002/श्रीगंगानगर सहीराम बनाम सरकार</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य</b></p> <p><b>उपस्थित</b> श्री अरविन्द मिश्रा, ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता, प्रार्थी श्री शिवप्रकाश चौधरी, उपराजकीय अधि०, अप्रार्थी सं.2 अप्रार्थी संख्या-1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही3</p> <p style="text-align: center;"><b>निर्णय</b> <b>दिनांक 15.10.2018</b></p> <p>प्रार्थी ने यह निगरानी नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि के आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 349/1997 में पारित निर्णय दिनांक 20-02-2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।</p> <p>प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03-06-1997 से अप्रार्थी संख्या-1 बनवारीलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत् मु.न. 65/27 के किला नम्बर 1 ता 5 का कब्जा दिलाये जाने एवं किश्ते जमा करवाये जाने का आदेश पारित करने को खारिज किया। इस निर्णय के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या-1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20-02-1997 से स्वीकार कर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3-6-1997 को निरस्त कर दिया तथा अपीलार्थी अप्रार्थी संख्या-1 से बकरया किश्ते जमा करवाकर विवादित 05बीघा भूमि का आवंटन बहाल करने की कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  निगरानी/कोलो/1537/2002/श्रीगंगानगर सहीराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>की गयी है।</p> <p>हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत पारित आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी को नहीं होकर प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार आयुक्त उपनिवेशन को प्रदत्त है। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या-1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील मियाद बाहर एवं तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत की गयी। उनका कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील में निर्णय पारित किया है, जो क्षेत्राधिकारविहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य उपराजकीय अधिवक्ता ने भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस का समर्थन किया।</p> <p>हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।</p> <p>पत्रावली एवं पारित निर्णय तथा निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रावधित प्रावधानों के तहत उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत पारित आदेश की अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील अपील प्राधिकारी को निहित नहीं है, आवंटन अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रथम अपील आयुक्त उपनिवेशन को प्रस्तुत होती है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 ने मियाद बाहर एवं तथ्य छुपाते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा राजस्व अपील प्राधिकारी ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील में निर्णय पारित किया, जो क्षेत्राधिकारविहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त के</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  निगरानी/कोलो/1537/2002/श्रीगंगानगर सहीराम बनाम सरकार</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निगराधीन निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।</p> <p>परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-02-2002 क्षेत्राधिकारविहीन होने से निरस्त किया जाता है।</p> <p>निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।</p> <p>पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">( मोहन लाल नेहरा ) सदस्य</p>	

